पत्र सं०–6 एस०एस०(6)44/2019– 1383 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 22/03/2025.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 945.00 लाख (रुपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख) के अनुमानित लागत व्यय पर दूध की आपूर्त्ति हेतु रोड मिल्क टैंकर का क्रय करने की योजना के स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 945.00 लाख (रुपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख) के अनुमानित लागत व्यय पर दूध की आपूर्त्ति हेतु रोड मिल्क टैंकर का क्रय करने की योजना के स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. कॉम्फेड को एक इकाई से दूसरी इकाई मुख्यतः झारखण्ड के डेयरियों को बिहार के विभिन्न दुग्ध संघों एवं इकाईयों से दूध की आपूर्त्ति की जाती है, जिसके लिए बड़ी संख्या में रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्फेड/दुग्ध संघों में अपने टैंकरों की संख्या काफी कम होने के कारण दूध के परिवहन हेतु किराये के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

3. दुग्ध संघ एवं इकाईयों को 15000 लीटर क्षमता के 25 रोड मिल्क टैंकर उपलब्ध कराने पर विचार किये जाने हेतु कॉम्फेड द्वारा कराया जाना है।

4. रोड मिल्क टैंकर का क्रय करने से दूध को सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से परिवहन करना, दूध की गुणवत्ता में सुधार, परिवहन लागत में कमी करना, बाह्य/भाड़े के मिल्क टैंकर पर निर्भरता दूर करना एवं दूध परिवहन हेतु कॉम्फेड को आत्मनिर्भर बनाना जिससे व्यवसाय में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में बढ़त एवं अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहुलियत होगी।

5. कॉम्फेड द्वारा 15 रोड मिल्क टैंकर का क्रय किया जायेगा।

6. इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, गव्य द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

9. सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड 02–2404001020115 के तहत प्राप्त बजट उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

10. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

11. चूकि यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)44/2019 के पृष्ठ–88/टि०, दिनांक–21.03.2025.

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)44/2019 के पृष्ठ–88/टि०, डायरी संख्या–123, दिनांक–22.03.2025.

13. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजना में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)44 / 2019– 1383 / पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 945.00 लाख (रूपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के द्वारा रोड मिल्क टैंकर का क्रय करने की योजना संभावित व्यय विवरणी।

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	कुल लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 02–2404001020115, विषयशीर्ष 31–05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	कॉम्फेड, पटना के द्वारा 15 रोड मिल्क टैंकर का क्रय	945.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/ प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		योग :–	**945.00**		

कुल रुपये (नौ करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र।

1383
22/03/25

सरकार के अपर सचिव